Madhya Pradesh State
Agricultural Marketing Board
Kisan Bhawan, 26, Arera Hills, Jail Road,
Bhopal-462011
Fax : 0755-2553806, Office : 0755-2553429

मध्यप्रदेश राज्य
कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, जेल रोड,
भोपाल-462011
फैक्स : 0755-2553806, कार्यालय : 0755-2553429

Website : www.mpmandiboard.gov.in

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/मंडी रैंकिंग/1050 **भोपाल, दिनांक** 14 / 02 /2025

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - __________(समस्त)

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
__________, जिला - __________(समस्त)

विषय - **कृषि उपज मंडियों की समीक्षा / मूल्यांकन के संबंध में।**

कृषि उपज मंडियों का प्रमुख दायित्व कृषकों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसके लिए कृषि उपज मंडियों की कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार आवश्यक है। इस दिशा में कृषक-केंद्रित सुविधाओं और व्यवस्थाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही कृषि उपज मंडियों का अधिनियम / नियम / उपविधि के प्रावधान अनुसार संचालन के लिए भी मंडी समितियों के दायित्व निर्धारित है।

कृषि उपज मंडियों की कार्यप्रणाली तथा आवश्यक सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के संबंध में संलग्न परिशिष्ट अनुसार मानक निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है—

1. **अनिवार्य सुविधाएं/व्यवस्थाएं तथा मंडियों से अपेक्षित अनिवार्य एवं आनुषंगिक कार्यवाही;**
2. **मंडियों द्वारा क्रियान्वित की जा सकने एवं भविष्य में विकसित किए जाने योग्य सुविधाएं;**
3. **सुझावात्मक नवाचार सुविधाएं, जिन्हें मंडी की स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक स्वीकृतियां तथा अनुमति प्राप्त कर विकसित किया जा सकता है।**

कृषि उपज मंडियों की समीक्षा और मूल्यांकन उपरोक्त मानकों के आधार पर किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कृषि उपज मंडियो के निरीक्षण के दौरान उक्त मानक अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाही का अवलोकन किया जाएगा। आगामी मासिक बैठक/ VC में इस संबंध में विस्तृत समीक्षा भी की जाएगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त मानकों की पूर्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(कुमार पुरुषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/मंडी रैंकिंग/ 1051 **भोपाल, दिनांक 14 / 02 /2025**

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट

कृषि उपज मंडियों की समीक्षा / मूल्यांकन के संबंध में निर्धारित मानक

1. अनिवार्य सुविधाएं/व्यवस्थाएं तथा मंडियों से अपेक्षित अनिवार्य एवं आनुषंगिक कार्यवाही

1.1. मंडी कार्यालयों में नियमित उपस्थिति।
1.2. राज्य मंडी बोर्ड सेवा तथा मंडी सेवा के अधिकारी/कर्मचारी को लागू ड्रेस कोड का पालन।
1.3. ई-मंडी - प्रवेश, निलामी, तौल, भुगतान, निकासी की डिजीटल व पारदर्शी व्यवस्था।
1.4. स्वच्छ प्रांगण, स्वच्छ कार्यालय।
1.5. निलामी हेतु पर्याप्त शेड।
1.6. ट्राली से पारदर्शी निलामी, ढेरी प्रथा का उन्मूलन।
1.7. इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज पर अनिवार्य तौल।
1.8. तौल का नियमित सत्यापन।
1.9. कृषक को संव्यवहार वाले दिन ही भुगतान - प्रांगण में नगद भुगतान एवं उसी दिन Cashless Digital Payment।
1.10. कृषकों से अधिनियम / नियम / उपविधि में निर्धारित कटौत्रा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अवैध कटौती पर प्रतिबंध।
1.11. बारदाना वजन का ही कटौत्रा।
1.12. अतिक्रमण मुक्त प्रांगण।
1.13. शुद्ध आर. ओ. पेयजल।
1.14. हायजीन युक्त टायलेट सुविधाघर।
1.15. सुरक्षा व्यवस्था।
1.16. सी.सी.टी.व्ही. से सतत मॉनिटरिंग।
1.17. हाईमास्ट प्रकाश व्यवस्था।
1.18. फायर फाईटर उपकरण।
1.19. ध्वनि प्रसारण यंत्र स्थापना व प्रभावी उपयोग।
1.20. डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड से आवश्यक सूचनाओं का लाईव प्रसारण।
1.21. संकेतक/ सूचना/ दिशा-निर्देशक बोर्ड व सुरक्षा व्यवस्था चेक पॉइंट।
1.22. रियायती दरों पर भरपूर गुणात्मक भोजन व आधुनिक कैंटीन व्यवस्था।
1.23. मौसम संबंधी आकस्मिक परिस्थितियों के लिए बचाव की व्यवस्था।
1.24. स्वच्छ एवं आवश्यक संसाधन युक्त कृषक विश्राम गृह।
1.25. FPO को प्रोत्साहन।
1.26. सिंगल विंडो मार्गदर्शक हेल्पडेस्क।
1.27. एमपी फार्मगेट एप का अधिकाधिक उपयोग, 25 प्रतिशत कृषकों का पंजीयन।
1.28. e-NAM राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू कराना।
1.29. हरियाली/ ग्रीन बैल्ट/ बगीचे।
1.30. वेस्ट डिस्पोजल यूनिट/ जैविक खाद निर्माण ईकाई।
1.31. विपणन कार्य योजना तैयार करना।
1.32. उत्पादन के अनुरूप आवक होना।
1.33. गत वर्ष से जिंसवार तुलनात्मक आवक व आय में वृद्धि सुनिश्चित करना।
1.34. वाहन, प्रतिष्ठान, प्रसंस्करण व बीज संयंत्रों का निरंतर भौतिक सत्यापन व निरीक्षण करना।
1.35. सभी लायसेंस लोकसेवा गारंटी की समयावधि में अनिवार्यतः जारी होना।
1.36. अक्रियाशील उपमंडियों को क्रियाशील करना।
1.37. मंडी को प्राप्त भूमि का नामांतरण।
1.38. रिक्त संपदाओं का नियमानुसार आवंटन।
1.39. अतिक्रमण की स्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही।
1.40. प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल में प्रविष्टि नियमित अद्यतन करना।
1.41. प्रांगण छोटे पड़ने पर विस्तार हेतु उपयुक्त परिसर का चुनाव।
1.42. लेआउट का अनुमोदन/ स्वीकृति।
1.43. मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों हेतु एनपीएस।

1.44. बोर्ड ऋण एवं बोर्ड शुल्क का नियमित भुगतान।
1.45. बैंक समाधान Reconciliation की नियमित कार्यवाही।
1.46. प्रशासनिक व्यय, निर्धारित सीमा के भीतर होना।
1.47. लेखा संबंधी निर्देशों का पालन।
1.48. बजट के लिए गाईडलाईन तैयार करने के निर्देश तदानुसार ही मद रखा जाना।
1.49. टैली साफ्टवेयर से लेखा कार्य संधारित करना।
1.50. सी.ए. से लेखा रिपोर्ट अद्यतन कराना।
1.51. लेखा सत्यापन निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना।
1.52. निपुण मानव संसाधन हेतु प्रशिक्षण व वर्कशॉप।
1.53. अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण।
1.54. मंडी सचिव द्वारा 03 माह का निरीक्षण कार्यक्रम बनाकर आंचलिक कार्यालय स्तर से अनुमोदन प्राप्त करना।
1.55. मंडी सचिव / अधिकारी / कर्मचारी का सक्षम अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ना।
1.56. भारसाधक अधिकारी के साथ समन्वय रखते हुए मंडी संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों का त्वरित रुप से निष्पादन।
1.57. महत्वपूर्ण पत्र/ टी.एल./ आरटीआई/ विधानसभा/ न्यायालयीन प्रकरणों/ अवमानना प्रकरण पर अविलंब अनुपालना।
1.58. समाचार पत्रों में मंडी संबंधी प्रकाशित समाचार पर तत्काल कार्यवाही।
1.59. निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना।

2. मंडियों द्वारा क्रियान्वित की जाने योग्य एवं भविष्य में विकसित किए जाने वाले सुविधाएं

2.1. इलेक्ट्रानिक बूम बैरियर से प्रवेश व निकासी।
2.2. बैंक, ए.टी.एम.।
2.3. सोलर व्यवस्था (ऊर्जा संरक्षण)।
2.4. वैज्ञानिक भंडारण हेतु आधुनिक भंडारगृह तथा भंडारण क्षमता में वृद्धि।
2.5. फल सब्जी विपणन की सुविधा।
2.6. असेयिंग लेब को APEDA/NABL/Agmarknet की अधिमान्यता प्राप्त करना।
2.7. प्राथमिक चिकित्सा कक्ष / एग्रीक्लिनिक।
2.8. WhatsApp Group अथवा अन्य संचार माध्यमों से कृषकों से निरंतर संपर्क।

3. सुझावात्मक नवाचार सुविधाएं, जिन्हें मंडी की स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक स्वीकृतियां तथा अनुमति प्राप्त कर विकसित किया जा सकता है

3.1. कांफ्रेंस हाल सह प्रशिक्षण केंद्र।
3.2. हाईराईज मल्टीपरपस शेड।
3.3. कलर सॉर्टिंग/ ग्रेडिंग एवं क्लीनिंग संयंत्र/ ऑटोमेटिक पैकिंग व्यवस्था।
3.4. कोल्ड स्टोरेज/ पैकहाउस/ कोल्ड चैंबर।
3.5. राइपनिंग चैंबर।
3.6. Value Addition / Processing Infrastructure।
3.7. किसान बाजार तथा विविध बाजार।
3.8. एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क।
3.9. कृषकों को उनकी उपज भंडारित करने पर प्लेज फायनेंस सुविधा।